

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त,
वृत्त—
राजस्थान आवासन मण्डल,
विषयः— मण्डल द्वारा आवंटित वरियता क्रमांक का आय वर्ग परिवर्तित करने बाबत्।
महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की
योजना में आवास/फ्लैट हेतु पंजीकरण करवाया गया था
जिसके तहत दिनांक को आयोजित लॉटरी द्वारा मेरी वरियता क्रमांक
आवंटित की गयी है। अब मेरी आय में कमी / वृद्धि हो जा
के कारण आय वर्ग में परिवर्तन करवाना चाहता/चाहती हूं।
अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरे वर्तमान आय वर्ग को परिवर्तित कर
(नये आय वर्ग का नाम) करने का श्रम करें।
भवदीय,
( नाम— पता

## संलग्न:-

- 1- पंजीकरण से संबंधित साक्ष्य की स्व सत्यापित छायां प्रति।
- 2— वर्तमान आय का प्रमाण पत्र
- 3- पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।